(151)

(265)

निग0 4228/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

मेवा लाल पिता रामपियारे तेली निवासी रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. रामाधार भुजवा पिता गजाधर भुजवा निवासी रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ....अनावेदकगण

अधि0श्री प्रतीक तिवारी द्वारा पेश। 09-7-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंण्डल रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 प्र0क्र036ए12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 12.2.2018 के बिरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन निगरानी ।

महोदय

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि , अनावेदक कमांक 2 के द्वारा भूमि नम्वर 6/4 रकवा 0.968 आरे. मौजा दूबी रा0नि0मं0रामपुर तहसील नईगढी के भूमि का सीमाकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस भूमि का सीमांकन किया गया आवेदक के द्वारा जानकारी होने पर सीमांकन पश्चात आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि जिस भू भाग का सीमांकन किया जा रहा है वह आवेदक की भूमि है सीमाकन के पूर्व सीमांकन के सम्बन्ध मे सीमांकन की किसी प्रकार की कोई सूचना आवेदक को नही दी गयी थी लेकिन वाद मे आवेदक की आपत्ति को बिधि बिरुद्ध ढंग से निरस्त कर दिया गया ।
2. यह कि , सीमांकित भूमि के सम्बन्ध मे हल्का पटवारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन मे स्पस्ट रुप से यह लेख किया गया है कि जिस भूमि का सीमांकन किया गया है उसमे आवेदक का कब्जा दखल है अनावेदक कमांक 2 का कब्जा दखल नही है सीमांकित भूमि 6/3/ख के भूमिस्वामी आवेदक है का कब्जा दखल व टियूब बेल लगा होना पाया गया लेकिन इसके पश्चात भी प्रतिवेदन को नजर अंदाज करते हुये

मेवालाल

(141)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग॰ 4228/2018/रीवा/भू-रा॰ जिला रीवा

मेवालाल तेली विरूद्ध शासन, रामाधार भुजवा

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रामपुर तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12.02.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	